न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 135/2008 तारीख रजू:-01.09.2008

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. परताप पुत्र फूलचन्द जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0 हिण्डौन-मृतक

1/1. महाराजसिंह पुत्र स्व. परताप जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा, श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली

2. गिरधर पुत्र किशोर जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0 हिण्डौन- मृतक

2/1. किरणदेवी बेबा गिरधर	जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा,
2/2. राकेश पुत्र गिरधर	श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली
2/3. सरोज पुत्री गिरधर	
2/4. मूरती पुत्री गिरधर	जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर

3. राजू पुत्र किशोर	जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर
4. यादराम पुत्र किशोर	तहसील हिण्डौन जिला करौली
5. दामो पुत्र किशोर	

6. सियाराम पुत्र परसादी जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0हिण्डौन-मृतक

6/1. विज्जल देवी बेबा सियाराम	जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर
6/2. रामवीर पुत्र सियाराम	
6/3. सुरेन्द्र पुत्र सियाराम	तहसील हिण्डौन जिला करौली
6/4. सरवेश पुत्री सियाराम	

7. निहालसिंह पुत्र परसादी	जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर
8. रामसहाय पुत्र बलवन्ता	तहसील हिण्डौन जिला करौली

9. प्यारसिंह पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0हिण्डौन–मृतक

9/1. रूपसिंह पुत्र प्यारसिंह	जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा
9/2. रामभरोसी पुत्र प्यारसिंह	तहसील हिण्डौन जिला करौली
9/3. पदमबाई पुत्री प्यारसिंह	

10. रामसहाय पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0हिण्डौन–मृतक

10/1. सुशीला पुत्री रामसहाय	जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडीकापुरा
10/2. रूकमणी पुत्री रामसहाय	तहसील हिण्डौन जिला करौली
10/3. झुनियादेवी बेबा रामसहाय	

11. कमोदी पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0हिण्डौन–मृतक

11/1. प्रेमदेवी पुत्री कमोदी जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा श्रीमहावीरजी जिला करौली

12. बिरजू पुत्र रामहेत	जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा
13. रामखिलाडी पुत्र रामहेत	तहसील हिण्डौन जिला करौली —— सायलान

बनाम

1. नंगूराम पुत्र दरबसिंह	जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा
2. बलराम पुत्र दरबसिंह	तहसील हिण्डौन जिला करौली

3. मोहनसिंह पुत्र दरबसिंह ———————————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–1. श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांक :–16.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद

नं0 1 में दर्ज किया है कि उपरोक्त उनवानी दावा सायलान ने गैरसायलान के खिलाफ दायर कर दिया है, जिसमें सायलान को कामयाबी की पूर्ण उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि साविक खसरा नम्बर 1036, 1037 हाल खसरा नम्बर 1611 वाके ग्राम अबकरपुर तहसील हिण्डौन पहले सायलान परताप, सायल नम्बर 8 रामसहाय तथा सायल नम्बर 2 ता 5 के पिता किशोर तथा सायल नम्बर 6,7 के पिता परसादी एवं गैरसायल नम्बर 4,5 के पिता धनीराम के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि थी। इस बावत उक्त खातेदारान ने गैरसायल नम्बर 1,2,3 के पिता दरबसिंह तथा सायलान नम्बर 9 लगायत 13 के विरुद्ध उनवानी मुकदमा परताप बनाम दरबसिंह दावा इस्तकरार हक तथा हुक्मं इम्तनाई दबामी मुकदमा नम्बर 118/68 न्यायालय उपजिला कलेक्टर हिण्डौन में दायर किया जो बरूए राजीनामा दिनाँक 26.11.70 को डिकी हुआ। इस प्रकार विवादित भूमि के खातेदारान परताप, किशोर, रामसाय, धनीराम तथा परसादी हुए। किशोर तथा धनीराम, परसादी फोत हो चुके है। उनके वारिसान सायल नम्बर 2 लगायत 7 तथा गैरसायल नम्बर 4,5 है। इस भूमि का भू प्रबन्ध अधिकारीगण ने नवीन खसरा नम्बर 1611 बनाया, जिसे मुकदमा नम्बर 118/68 के सायलान ने सायल नम्बर 9 लगायत 13 से 30 साल पूर्व 6000/– रूपया लेकर विक्रय कर दिया। इस प्रकार खसरा नम्बर 1611 सायल नम्बर 9 लगायत 13 के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है। जिससे गैरसायल नम्बर 1 लगायत 3 का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 1611 रकवा 72 ऐयर को सायलान ने बजमाने पेर्वज चारो तरफ से डौल मैड से महदूद कर रखा है। इस प्रकार विवादित भूमि खसरा नम्बर 1611 रकवा 72 ऐयर के पश्चिमी भाग के गैरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि मुकदमा नम्बर 118/68 उनवानी परसादी आदि बनाम दरबसिंह आदि दिनांक 26.11.70 को डिकी हो जाने के बाद गैरसायल नम्बर 1 लगायत 3 के पिता दरबसिंह ने दावा हाजा के सायलान नम्बर 9 लगायत 13 के विरूद्ध दूसरा दावा उनवानी मुकदमा दरबसिंह बनाम प्यारसिंह दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकमा नम्बर 71/81

न्यायालय एस० डी० ओ० हिण्डौन में दायर किया जो दिनाँक 16.09.85 को धारा 11 जा०दी० के तहत रेसजुडीकेटा होने के कारण खारिज हुआ। मुकदमा नम्बर 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह की अपील भी गैरसायलान व उसके पिता दरबसिंह ने नही की। इसलिए मुकदमा नम्बर 118/68 का निर्णय अंतिम तथा नातिक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि गैरसायलान के पिता दरबसिंह ने विवादित भूमि मुतजिकरा मद नम्बर 2 दरख्वास्त की बावत सायल नम्बर 9 ता 13 के विरुद्ध तीसरा दावा मुकदमा नम्बर 351/98 उनवानी दरबसिंह बनाम प्यारसिंह दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा दायर किया जिसमें दरबसिंह के फोत हो जाने के पश्चात गैरसायल नम्बर 1 ता 3 ने संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 25.02.04 को खारिज हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि उसी विवादित भूमि खसरा नम्बर 1611 रकवा 72 ऐयर के 1/2 भाग पश्चिमी बावत चौथा दावा गैरसायलान ने सायलान के खिलाफ न्यायालय उपजिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी में उनवानी मुकदमा नंगूराम आदि बनाम प्यारसिंह आदि दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नंबर 64/08 दायर कर दिया है। उक्त दावे के साथ दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा पेश की जो दिनांक 12.08.2008 को रेसजुडीकेटा मान कर खारिज कर दी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1611 रकवा 72 ऐयर के किसी भाग से गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। विवादित भूमि के किसी भी भाग पर गैरसायलान का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में मुकदमा नम्बर 118/68 की अनुपालना में उक्त मुकदमा के सायलान के हक में सहवन से नाम दर्ज नही हो पाया, जिसका नाजाइज फायदा उठा कर गैरसायलान उसी भूमि के बावत सायलान के विरूद्ध बार बार दावा कर रहे है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि राजस्व रिकार्ड में मुकदमा नम्बर 118/68 की पालना में डिकीदारान अनपढ तथा ग्रामीण कृषक

होने के कारण अमल दरामद नहीं करा पाये तथा विवादित भूमि की उक्त डिक्रीदारान ने 30 साल पूर्व वादी नम्बर 9 लगायत 13 को विक्रय कर कब्जा करा दिया है। सायल नम्बर 9 ता 13 विवादित भूमि को लगातार रूप से गैरसायलान की जानकारी में काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए लौंग टर्म पजेशन तथा एडवर्स पजैशन के आधार पर विवादित भूमि की खातेदारी सायलान नम्बर 9 ता 13 अपने हक में करा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि बाका दिनॉक 23.08.08 को सुबह 10 बजे सायलान अपने उक्त भूमि में आगामी फसल के लिए सावत की जोत लगा कर सुधार कर रहे तो गैरसायलान सायल नम्बर 9 ता 13 के उपर हमलावर हुए तथा सायलान को ऐलानिया धमकी दी है कि आयन्दा तुम सायलान को विवादित भूमि को काश्त नहीं करने देगें। जमीन पर पैर भी रखा तो हाथ पैर तोड देगें। गैरसायलान ने सायलान के हक में घोषणा खातेदारी कराने से भी इन्कार कर दिया। इसलिए दावा हाजा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय दरख्वास्त टी0आई0 दायर कर लाजिम आया।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि इस प्रकार सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन तथा अतुल्य क्षति का सिद्धान्त बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र टी0आई0 पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादीगण ना तो स्वयं और ना ही दीगर व्यक्तियो की मदद से आराजी खसरा नम्बर 1611 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के सायलान के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप पैदा ना करें। सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करते रहने देवें। सायलान को विवादित भूमि के किसी भी भाग से बेदखल ना करें। ना ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे हकूक सायलान पर विपरीत प्रभाव पडे। वादीगण के कब्जा की तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.12.2008 को गैरसायलान की ओर से श्री श्यामलाल शर्मा

एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। दिनांक 16.03.2009 को गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि मद नं01 प्रार्थना पत्र गलत है, अस्वीकार है। इस मदमें वर्णित वाद मय प्रार्थना पत्र हाजा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किए हैं। सायलान को सफलता मिलने के कोई आसार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि मद नं02 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर किया है सही नहीं है। आराजी साबिक खसरा नं0 1036 रकबा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 1037 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 18 विस्वा जिसका रकबा होना चाहिए 48 ऐयर जबकि आराजी खसरा नम्बर 1611 रकबा 72 ऐयर उक्त दोनों साबिक खसरा नम्बरान से कैसे बनी सायलान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नहीं बताया है। और इसलिए साबिक ख0नं0 का रकबा अंकित नहीं किया है। मुकदमा नं0 118/68 न्यायालय श्रीमानजी में तथाकथत राजीनामा तारीखी 26.11.70 व उस आधार पर पारित डिक्री व आदेश गतल है फर्जी है। मृतक दरब सिंह द्वारा तथा कथत कोई राजीनामा नहीं किया। तथा कथत बेचान बहक सायल सं0 9 ता 13 करीब तीस साल पूर्व मुबलिग 6000/— रू0 एकदम गलत मनगढन्त व फर्जी है। मौके पर भूमि विवादग्रस्त के दो हिस्से हो रहे हैं। एक हिस्सा तरफ पश्चिम प्रतिसायलान के कब्जे काश्त का कतई अलग है। इस प्रकार इस मद में सभी बातें गलत अंकित करवाई हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 3 गलत है अस्वीकार है। मुकदमा नम्बर 118/68 को फर्जी राजीनामा के आधार पर दिनांक 26.11.1970 को डिक्री करवाया गया। जो मेरिट पर फैंसल नहीं हुआ। मुकदमा नं0 71/81 को भी दिनांक 16.09.1985 को धारा 11 जा0दी0 के आधार पर निस्तारित करवा दिया जबकि उक्त दावे पर धारा 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधान लागू नहीं होते। क्योंकि मुकदमा नं0 118/68 मेरिटस पर फैंसल नहीं किया गया। उसमें कोई तनकी नहीं बनी ना किसी तनकी का निस्तारण किया गया। ऐसी सूरत में जाब्ता दीवानी के प्रावधान लागू नहीं हो

सकते। इसलिए मुकदमा नं0 118/68 का निर्णय अंतिम निर्णय की तारीफ में नहीं आता है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 4 गलत है, अस्वीकार है। मुकदमा नं0 351/98 का निर्णय स्वयं सायलान द्वारा वर्णित तथ्यों के आधार पर मेरिटस पर नहीं हुआ वह अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो जाना अंकित किया है। जिसके निर्णय से सायलान को कोई लाभ नहीं मिलता।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 गलत है, अस्वीकार है। मुकदमा उनवानी नंगू बनाम प्यार सिंह आदिका प्रार्थना पत्र टी0आई0 का निर्णय तारीखी 12.08.2008 रेसजूडीकेटा के सिद्धान्त के आधार पर गलत निर्णित फरमाया है जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 6 गलत है अस्वीकार है। गैरसायलान आराजी खसरा नं0 1166 रकबा 72 ऐयर के 1/2 हिस्से के खातेदार है। मौके पर 1/2 भाग बतरफ पश्चिम गैरसायलान काश्त करते चले आ रहे है। और वह कम आज भी बदस्तूर है। इस प्रकार इस मद में सभी इबारत गलत है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 7 गलत है अस्वीकार है। सायलान अनपढ नहीं है। बल्कि पढे लिखे व सरकारी नौकरी में तैनात है। तथाकथित विकय 30 साल पूर्व एकदम फर्जी व बनावटी है। सायलान का कोई लोंग टर्म व एडवर्स पजेशन आराजी विवादग्रस्त पर नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 8 गलत है, अस्वीकार है। तथाकथित बाका दिनांक 23.08.2008 एकदम गलत व मनगढन्त है। सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र एकदम गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 9 गलत है, अस्वीकार है। सायलान के पक्ष में कोई प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का भी सिद्धान्त साबित नहीं है।

विशेष विवरण :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा मुकदमा हाजा पूर्व मुकदमों के निर्णयों के वास्तविकता को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। इसलिए हाईड एण्ड सींक के आधार पर सायलान कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि तथाकथित मुकदमा नं0 118/68 जिसमें मृतक रामहेत व उसके वारिसान सायल सं0 9 ता 13 एवं प्रतिसायलान के पिता दरबसिंह प्रतिसायल थे। जिसमें मृतक दरब सिंह द्वारा कोई राजीनामा नहीं दिया। मुकदमा का निस्तारण मेरिट पर नहीं हुआ, तनकी कायम नहीं हो पाई। महज राजीनामा के आधार पर गलत डिक्री कायम करवा ली। जिस पर रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त किसी भी प्रकार आरिज नहीं होता तथा कथित खरीद फरोख्त 6000/– रू0 का ना तो कोई सबूत है ना ही दस्तावेज है। जिसके अभाव में महज कह देना मात्र सायलान की फर्जकारी को साबित करता है। इस आधार पर मुकदमा चलने योग्य नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

गैरसायलान की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने बकालतनामा पेश करने के लिए कई बार समय चाहा किन्तु उन्होंने बकालतनामा पेश नहीं किया तथा दिनांक 02.12.2025 को गैरसायलान व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2046–66, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2061–64, फोटो प्रति

नकल नक्शा ट्रेस , फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह वाद पत्र, फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह वाद पत्र में हुए राजीनामा दिनांक 16.11.1970 , फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी. ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह में आदेश दिनांक 26.11.1970, फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा तकास्मा आराजी प्रार्थना पत्र, फोटो प्रति नकल न्यायालय उपजिलाधीश हिण्डौन मुकदमा नं0 71/81 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा तकास्मा आराजी में पारित आदेश दिनांक 16.09.1985, फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा की आदेशिका दिनांक 25.02.2004, फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन प्रार्थना पत्र टी.आई. उनवानी नंगूराम वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह आदेशिका दिनांक 12.08.2008, फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह वाद पत्र, फोटो प्रति नकल न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर अपील संख्या 34/2008 उनवानी नंगूराम वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह अपील विरूद्ध निर्णय उपजिला कलक्टर हिण्डौन प्रकरण संख्या 37/2008 में पारित आदेश दिनांक 12.08.2008 के विरूद्ध पेश की गई में पारित आदेश दिनांक 18.12.2008 की प्रति, फोटो प्रति नकल न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा उनवानी नंगू बनाम प्यारसिंह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में पारित आदेश दिनांक 12.08.2008, पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये हैं।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2046–66 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 1037 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 1036 रकबा 5 बिस्वा, 1014 मिन से हाल खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन कायम किया गया है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2061–64 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी प्यारसिंह रामसहाय कमोदी विरजू रामखिलाडी पिस0 रामहेत हि0 ब0 हि0 1/2, नंगूराम बलराम मोहनसिंह पि0 दरवसिंह हि0 1/2 जाति गुर्जर निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह वाद पत्र के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन का दावा बाबत् डिक्लेरेशन हकूक खातेदारी का पेश किया जाना साबित है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह वाद पत्र में हुए राजीनामा दिनांक 16.11.1970 , के अनुसार वादीगण आराजी खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं और प्रतिवादीगण का इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। खर्चा मुकदमा फरीकेन अपना अपना बरदास्त करेंगे तथा इन आराजीयात का इन्द्राज वादीगण के नाम करा सकेंगे।

फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह में आदेश दिनांक 26.11.1970 में अंकित किया है कि वकील वादी उपस्थित है। राजीनामा वाद तस्दीक हो चुका है। वह शामिल हो चुका है। अतः वरूये राजीनामा डिकी किया जावे। आज्ञा सुनाई गई। परचा डिकी तैयार किया जावे।

नकल नक्शा ट्रेस , फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह वाद पत्र, फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह वाद पत्र में हुए राजीनामा दिनांक 16.11.1970 , फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी. ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह में आदेश दिनांक 26.11.1970, फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा तकास्मा आराजी प्रार्थना पत्र, फोटो प्रति नकल न्यायालय उपजिलाधीश हिण्डौन मुकदमा नं0 71/81 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा तकास्मा आराजी में पारित आदेश दिनांक 16.09.1985, फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा की आदेशिका दिनांक 25.02.2004, फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन प्रार्थना पत्र टी.आई. उनवानी नंगूराम वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह आदेशिका दिनांक 12.08.2008, फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह वाद पत्र, फोटो प्रति नकल न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर अपील संख्या 34/2008 उनवानी नंगूराम वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह अपील विरूद्ध निर्णय उपजिला कलक्टर हिण्डौन प्रकरण संख्या 37/2008 में पारित आदेश दिनांक 12.08.2008 के विरूद्ध पेश की गई में पारित आदेश दिनांक 18.12.2008 की प्रति, फोटो प्रति नकल न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा उनवानी नंगू बनाम प्यारसिंह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में पारित आदेश दिनांक 12.08.2008, पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये हैं।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2046-66 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 1037 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 1036 रकबा 5 बिस्वा, 1014 मिन से हाल खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन कायम किया गया है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2061-64 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी प्यारसिंह रामसहाय कमोदी विरजू रामखिलाडी पिस0 रामहेत हि0 ब0 हि0 1/2, नंगूराम बलराम मोहनसिंह पि0 दरवसिंह हि0 1/2 जाति गुर्जर निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह वाद पत्र के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन का दावा बाबत् डिक्लेरेशन हकूक खातेदारी का पेश किया जाना साबित है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह वाद पत्र में हुए राजीनामा दिनांक 16.11.1970 , के अनुसार वादीगण आराजी खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं और प्रतिवादीगण का इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। खर्चा मुकदमा फरीकेन अपना अपना बरदास्त करेंगे तथा इन आराजीयात का इन्द्राज वादीगण के नाम करा सकेंगे।

फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह में आदेश दिनांक 26.11.1970 में अंकित किया है कि वकील वादी उपस्थित है। राजीनामा वाद तस्दीक हो चुका है। वह शामिल हो चुका है। अतः वरूये राजीनामा डिकी किया जावे। आज्ञा सुनाई गई। परचा डिकी तैयार किया जावे।

फोटो प्रति नकल न्यायालय एस.डी.ओ.हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा तकास्मा आराजी वाद पत्र के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 1036,1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन का दावा बाबत् तकास्मा आराजी का पेश किया जाना साबित है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय उपजिलाधीश हिण्डौन मुकदमा नं071/81 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा तकास्मा आराजी में पारित आदेश दिनांक 16.09.1985 वादी का दावा तनकी नं02 में रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होने के कारण खारिज किया गया है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा की आदेशिका दिनांक 25.02.2004 के अनुसार वादीगण का दावा अदम हाजरी में खारिज किया गया है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन प्रार्थना पत्र टी.आई. उनवानी नंगूराम वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह आदेशिका दिनांक 12.08.2008 के अनुसार पूर्व में विचाराधीन प्रकरण के आधार पर प्रथम दृष्टया केस चलने योग्य नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र टी.आई. खारिज किया गया है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह वाद पत्र की प्रति के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन का दावा बाबत् तकास्मा आराजी का पेश किया जाना साबित है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 64/2008 उनवानी नंगूराम वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की प्रति के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन का दावा बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना साबित है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर अपील संख्या 34/2008 उनवानी नंगूराम वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह अपील विरूद्ध निर्णय उपजिला कलक्टर हिण्डौन प्रकरण संख्या 37/2008 में पारित आदेश दिनांक 12.08.2008 के विरूद्ध पेश की गई में पारित आदेश दिनांक 18.12.2008 की प्रति के अनुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की गई।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1036 रकबा 5 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के सम्बन्ध में पूर्व में मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन का दावा बाबत् डिक्लेरेशन हकूक खातेदारी का चला था जिसमें पक्षकारान ने राजीनामा दिनांक 16.11.1970 को न्यायालय में पेश कर राजीनामा में अंकित किया कि वादीगण आराजी खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं और प्रतिवादीगण का इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। खर्चा मुकदमा फरीकेन अपना अपना बरदास्त करेंगे तथा इन आराजीयात का इन्द्राज सायलान के नाम करा सकेंगे। उक्त राजीनामा के आधार पर न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन ने मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह में दिनांक 26.11.1970 को आदेश पारित करते हुए आदेश में अंकित किया है कि वकील वादी उपस्थित है। राजीनामा वाद तस्दीक हो चुका है। वह शामिल हो चुका है। अतः वरूये राजीनामा डिक्री किया जावे। आज्ञा सुनाई गई। परचा डिक्री तैयार किया जावे। जिससे साफ जाहिर है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के मुकदमा नं0 118/68 के वादीगण खातेदार काश्तकार थे किन्तु वादीगण के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.1970 का अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं कराया। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1036 रकबा 5 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन का कुल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा था, जिसका दौराने

सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 1611 का रकबा 0.72 है0 कायम किया गया है। इस प्रकार सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भाना प्रतीत होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। इसलिए दावे के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। गैरसायलान ना तो स्वंय और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से सायलान के कब्जा काश्त में कोई हस्तक्षेप ना करें। विवादित भूमि से सायलान को बेदखल ना करें। शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
16/12/25